

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

डॉ० एम०के० शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक २५ दिसम्बर, 2024

विषय:- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- बे०शि०प०/14622-24/2024-25 दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है:-

1- अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा सम्पादित की जाएगी-

1	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	अध्यक्ष
2	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
4	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक)	सदस्य

2- शिक्षकों के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण एक शैक्षिक सत्र में 02 बार (ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान) किये जा सकेंगे। शिक्षकों द्वारा

शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑन-लाइन आवेदन किया जायेगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही किसी भी दशा में नहीं की जायेगी।

3- प्राथमिक विद्यालय तथा संविलित विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण (Subject Mapping) नहीं किया जाता है। अतः अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा/विज्ञान/गणित की बाध्यता नहीं होगी।

4- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण (Subject Mapping) होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विषयवार शिक्षक होने एवं शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने के स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य किए जायेंगे।

5- पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ ही अनुमन्य है:-

क-	प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय।
ख-	सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय।
ग-	सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
घ-	प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
ङ-	उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य हो ंगे।

6- पारस्परिक स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे।

7- ऐसे अध्यापक/अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो उनके अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

8- अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण स्कूल से स्कूल (School to School) होगा।

9- एन0आई0सी0 द्वारा विकसित बेवसाइट पर अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके सम्पूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जायेगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि

शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली-भाँति परिचित हो सकें तथा अपना सही आवेदन कर सकें।

10- अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे।

11- एक बार स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12- अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्त/तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।

13- अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन की तिथि से 07 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ-पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/कार्यवाही गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

14- आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गयी त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) किये गये आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

15- अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानान्तरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा।

16- अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 07 कार्य दिवस के अन्दर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

17- शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एन0आई0सी0 द्वारा विकसित पोर्टल पर अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण मॉड्यूल के अन्तर्गत ही स्वीकार किये जायेंगे। मैन्युअल आवेदन पत्र (रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्तूरी आदि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

18- अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया

के माध्यम से स्थानान्तरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा।

19- अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की कार्यवाही चरणवार निम्नवत सम्पादित की जायेगी-

क्र.सं.	प्रक्रिया	निर्धारित तिथि/अवधि
1	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा- पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित/अद्यतन किया जाना	निर्धारित तिथियों के मध्य
2	पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि	निर्धारित तिथियों के मध्य
3	शिक्षक द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना	ऑन लाइन आवेदन तिथि से 15 दिवस के अन्दर
4	आवेदक की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने की अवधि।	15 कार्य दिवस के अन्दर
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराये जाने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति की बैठक/संस्तुति किए जाने की कार्यवाही किया जाना	01 माह के अन्दर
6	शिक्षकों द्वारा अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना	15 कार्य दिवस में।
7	स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना एवं कार्यमुक्त आदेश	ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश में

सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

प्रेरणा पोर्टल/मानव सम्पदा पोर्टल पर सात दिवस के अन्दर स्थानान्तरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जायेगा।

20- उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी (competent authority) होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Shanmuga Sundaram

Date: 26-12-2024 21:36:59
(डॉ. शानमुगा सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, 30प्र0 लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, 30प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), 30प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, 30प्र0 प्रयागराज/वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 प्रयागराज।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त प्राचार्य, डायट 30प्र0।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक 30प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग 30प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by/-

(आनन्द कुमार सिंह)

Date: 27-12-2024 13:04:44
उप सचिव।